

E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

सं० सं० : 03 / 02- DLRS-State Plan (Resign)Begusarai-29 / 2023(PART)..... पटना, दिनांक :-.....

आदेश

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का पदस्थापन भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत नियोजन पत्र-सह-पदस्थापन आदेश से बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय में पदस्थापित किया गया है।

विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा समर्पित त्याग पत्र पर बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय का पत्रांक 244 दिनांक 29.03.2025 द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में स्तम्भ संख्या-02 में अंकित संविदा कर्मियों का त्याग पत्र स्तम्भ संख्या-07 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्म का नाम	आई०डी० सं०	संविदा पदनाम	पदस्थापित बन्दो० कार्या० का नाम	बन्दो० कार्या० का पत्रांक / दिनांक	त्याग पत्र की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	सुश्री / श्रीमती अर्चना कुमारी	ASO06447	वि०सर्व०स०ब०पदा०	बेगूसराय	244 / 29.03.2025	24.02.2025
2	सुश्री / श्रीमती अर्निका कुमारी	SKN14300	वि०सर्व०कानूनगो			17.02.2025
3	सुश्री / श्रीमती रीमा कुमारी	AEN06994	वि०सर्व०अमीन			13.03.2025
4	श्री विक्रम कुमार	AEN02010	वि०सर्व०अमीन			19.02.2025
5	रेशु रूपम	AEN04434	वि०सर्व०अमीन			24.02.2025

2. त्याग पत्र की स्वीकृति विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन प्रतिवेदन से आच्छादित होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापक : 03 / 02- DLRS-State Plan (Resign)Begusarai-29 / 2023(Part)..... पटना, दिनांक :-.....

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापक : 03 / 02- DLRS-State Plan (Resign)Begusarai-29 / 2023(Part)..... पटना, दिनांक :-.....

प्रतिलिपि :- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापक : 03 / 02- DLRS-State Plan (Resign)Begusarai-29 / 2023(Part)..... पटना, दिनांक :-.....

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R के अन्तर्गत व्यक्तिगत संचिका में संधारित करें।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण